

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक...../जिला विधि,
[IX-04/2007-13]
दिनांक08.2013



फोन नं. :- 06456-222530, 222535
फैक्स नं. :- 06456-222626, 225480
ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :: आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,
उप विकास आयुक्त-सह-
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, किशनगंज।

विषय :- पोठिया (पहाड़कट्टा) थाना कांड सं. 142/2012, दिनांक 11.09.2012, धारा 406/409/467/
468/477(ए.)/420 भा.द.वि. में प्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार, तत्कालीन पंचायत
रोजगार सेवक, जहांगीरपुर पंचायत, थाना पहाड़कट्टा, पोठिया (पिता जगदीश साह, सा. एवं
थाना धरहरा, जिला मुंगेर) के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक 1365/अप.शा., दिनांक 24.07.2013
द्वारा उक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, जहांगीरपुर
पंचायत, थाना पहाड़कट्टा, पोठिया (पिता जगदीश साह, सा. एवं थाना धरहरा, जिला मुंगेर) के विरुद्ध
अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त है।

कांड से संबंधित प्रस्ताव एवं संलग्न कागजात मूल में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि
संबंधित मामले में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में तदनुसार कार्रवाई करने कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह./--

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 449/जि.विधि., किशनगंज, दिनांक 10.08.2013. 19.08.2013

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को उनके पत्रांक 1365/अप.शा., दिनांक 24.07.2013 के क्रम में
सूचनार्थ प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।